2017/00090

मिसल नं0 09/2017 सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद बनाम लटूर पुत्र देन्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-10-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 22 के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटन पत्रावली मे आवेंदक एवं आवंटन आदेश लटूर पुत्र देव्या के नाम से है, जबकि दखलनामा व वर्तमान रेकार्ड लटूर पुत्र नेनगा के नाम होने से विरोधाभाषी होने से आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया है । आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि सी0 आवंटन लटूर पुत्र देव्या जाति भील निवासी बमूलिया रावतान तहसील दीगोद को भूमि आवंटन हुई है । आवंटी लटूर आत्मज नेनगा जी जाति भील निवासी बम्बूलिया रावतान तहसील दीगोद द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2015 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी के पिता का नाम नेनगा के स्थान पर सहवन से देव्या अंकित हो गया है । अतः उसके पिता का नाम देव्या के स्थान पर नेनगा दर्ज करने का निवेदन किया गया है । आवंटन पत्रावली मे आवेदन एवं आवंटन आदेश लटूर पुत्र देव्या के नाम से है, जबकि दखलनामा व वर्तमान रेकार्ड लटूर पुत्र नेनगा के नाम होने से विरोधाभाषी होना तहसीलदार दीगोद द्वारा अंकित किया है । चूंकि प्रकरण आवंटी के पिता का सही नाम दर्ज नही करने से संबंधित है । अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रा0 पत्र खारिज कर निर्देशित किया जाता है कि आवंटी अपने पिता के नाम को शुद्ध करने के लिए सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने के लिए स्वतन्त्र है तथा यदि आवंटन शर्तो की पालना नही की गई तो तहसीलदार दीगोद पुनः नियमानुसार आवंटन खारिज करने हेतु सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगे । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार दीगोद को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलक्टर कोटा	